



Spl Seal

Registered
Office of the Accountant General (A&E)-II, UP
20, Sarojini Naidu Marg, Allahabad 211001
Phones: Off. 2622625-26 Fax; 0532-2624402



Under Special Seal

Circular No. Pen. (M)/Dearness Relief/1950

Dated:- 20.11.09

To,
Accountant General (A&E)

Andhra Pradesh
Saifabad Hyderabad 500004

Subject: - G.O. Regarding 80% Payment of arrears of All India Services Pensioners/Family Pensioners as per recommendations of 6th Pay Commission.

4765
26/11

Sir,

I am forwarding herewith copy of GO. Issued by Uttar Pradesh Government Vide No Sa-3-1439/ दस -2009 Lucknow : Dated : 04 November, 2009 in respect of All India Services Pensioners/Family Pensioners as per recommendations of 6th Pay Commission.

It is requested that above mentioned Orders may please be circulated to all Treasuries situated in your State immediately under intimation to this office.

Enclosure: As Stated above

Yours faithfully

(Signature)

(Vijay Kumar)

Sr, Accounts Officer

50423
04/12/09

4.2

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
संख्या-सा-3-1439/दस-2009
लखनऊ : दिनांक : 04 नवम्बर, 2009

कार्यालय ज्ञाप

कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-3-1250/दस-2008, दिनांक 20 अक्टूबर, 2008 द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन को पुनरीक्षित करने के सम्बन्ध में आदेश निर्गत किये गये थे जिन्हें बाद में कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-3-1472/दस-2008, दिनांक 11 दिसम्बर, 2008 द्वारा संशोधित कर दिया गया था। इन आदेशों द्वारा यह व्यवस्था की गयी कि पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान दिनांक 01 अक्टूबर, 2008 से प्रारम्भ होगा अर्थात् सितम्बर की देय पेंशन का भुगतान दिनांक 01 अक्टूबर, 2008 से आरम्भ किया जायेगा एवं यह भी व्यवस्था की गयी कि पेंशन के अवशेष देयों का भुगतान 20, 40 एवं 40 प्रतिशत की तीन किशतों में क्रमशः 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 में किया जायेगा।

रिट याचिका (सिविल) संख्या-35/2006, सोसायटी ऑफ रिटायर्ड फारेस्ट आफिसर्स ऑफ यू0पी0 बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य में पारित मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.07.2008 एवं अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनरों को देय पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में निदेशक (सेवायें) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के पत्रांक-14021/7/2008-अ0भा0से0(II)/दिनांक 26.09.2008 द्वारा संसूचित केन्द्र सरकार के निर्णय के आलोक में उपरोक्त आदेशों पर पुनर्विचार किया गया। अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनरों के सम्बन्ध में उपरोक्त आदेशों का पूर्ण रूपेण अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के लिये एतद्वारा यह व्यवस्था की जाती है कि अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन के देय बकाये का समस्त भुगतान वर्तमान वित्तीय वर्ष में शीघ्रातिशीघ्र किया जायेगा एवं बकाये का कोई भी भुगतान आगामी वर्ष के लिये लम्बित नहीं रखा जायेगा। सभी सम्बन्धित द्वारा इन आदेशों का कड़ई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(मनजीत सिंह)
प्रमुख सचिव

संख्या-सा-3-1439(1)/दस-2009 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- (2) विशेष सचिव, इरला चेक अनुभाग, सचिवालय प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- (3) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (4) निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (5) निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (6) उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों के मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
- (7) भुगतान एवं लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश भवन, नई दिल्ली।

आज्ञा से.

(बी० एन० दीक्षित)
सचिव